

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0...

आवंटनादेश

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

राजेश भारती (भा०प्र०से०),

श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

सभी सहायक श्रमायुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

सभी श्रम अधीक्षक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

पटना, दिनांक:-

विषय:- (क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) एवं (ख) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-2236, दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में द्वितीय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार किया गया है ।

- उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 25 सितंबर, 2025 तक किया जाना है।
- यह आवंटन व्यय शीर्ष (क) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में रु 23,70,900/- मात्र एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में ₹ 22,84,566/- मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹ 46,55,466/- (₹ छियासठ लाख पच्चपन हजार चार सौ छियासठ) मात्र एवं व्यय शीर्ष (ख) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में ₹ 9,88,600/- एवं विषयशीर्ष-20.03 प्रशिक्षण व्यय में ₹ 9,77,664/- अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹ 19,66,264/- (₹ उन्नीस लाख छियासठ हजार दो सौ चौसठ) मात्र इस प्रकार (क) + (ख) के अन्तर्गत कुल आवंटित राशि ₹ 66,21,730/- (₹ छियासठ लाख इक्कीस हजार सात सौ तीस) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-235/वि० दिनांक-01.04.2025 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 तथा पत्रांक-3748/वि०(2), दिनांक-05.04.2010 के आलोक में है ।
- अनुसूची की कंडिका (ख) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि, कुल मजदूरों का 30% अनुसूचित जाति के मजदूरों के लिए है । अगर अनुसूचित जाति के मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका भुगतान अनुसूची की कंडिका (क) में उल्लेखित उप शीर्ष में आवंटित राशि से किया जायेगा ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

7. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय ।
8. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।
9. यदि विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार में टेंट, शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि के लिए आवंटित राशि में बचत होती है तो उस राशि से सबसे पिछड़ी पंचायत/ Industrial Cluster जहाँ श्रमिक अधिक होते हैं वहाँ गाँव/पंचायत स्तर पर एक अतिरिक्त शिविर का आयोजन करें ।

सभी संबंधित जिलों के उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर शिविर आयोजन करेंगे एवं शिविर के आयोजन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

अनु०- अनुसूची-1

विश्वासभाजन,

ह/०

(राजेश भारती)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-04/2025 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/०

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-04/2025 श्र0सं0-

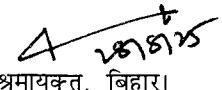
5320

पटना, दिनांक-

29/08/2025

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/प्रशाखा-2, सरकार पक्ष/ प्रशाखा-4, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।


श्रमायुक्त, बिहार।

स्पीड
पोस्ट

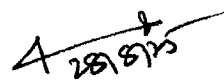
स्पीड
पोस्ट

अनुसूची-I

क्र.सं.	जिला का नाम जहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा	कुल मजदूरों की संख्या (प्रति पंचायत एक मजदूर)	कुल मजदूरों का 70%	(क) व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी० 2230011030101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी		योग (कॉलम 5+6)	कुल मजदूरों का 30%	(ख) व्यय शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-पी० 2230017890101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी		योग (कॉलम 9+10)	कुल योग (कॉलम 7+11)	शिविर आयोजन की तिथि
				कान्फ्रेंस कार्याशाला, सेमिनार 101.20.02 मार्ग व्यय अधिकतम ₹100/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹200/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि हेतु ₹ 18000 प्रति शिविर	विषयशीर्ष-0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यू० मजदूरी कृषि नियोजन दर रू० 402/- प्रति मजदूर)			कान्फ्रेंस कार्याशाला, सेमिनार 101.20.02 मार्ग व्यय अधिकतम ₹ 100/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹200/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि हेतु ₹ 7000 प्रति शिविर	विषयशीर्ष-0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यू० मजदूरी कृषि नियोजन दर रू० 402/- प्रति मजदूर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अररिया	218	153	63900	61506	125406	65	26500	26130	52630	178036	
2	अरवल	68	48	32400	19296	51696	20	13000	8040	21040	72736	
3	औरंगाबाद	203	142	60600	57084	117684	61	25300	24522	49822	167506	
4	बांका	185	130	57000	52260	109260	55	23500	22110	45610	154870	
5	बेतिया	315	221	84300	88842	173142	94	35200	37788	72988	246130	
6	बेगूसराय	257	180	72000	72360	144360	77	30100	30954	61054	205414	
7	भोजपुर (आरा)	228	160	66000	64320	130320	68	27400	27336	54736	185056	
8	भागलपुर	242	169	68700	67938	136638	73	28900	29346	58246	194884	
9	बक्सर	142	99	47700	39798	87498	43	19900	17286	37186	124684	
10	दरभंगा	324	227	86100	91254	177354	97	36100	38994	75094	252448	
11	डालमियानगर	246	172	69600	69144	138744	74	29200	29748	58948	197692	
12	गया	332	232	87600	93264	180864	100	37000	40200	77200	258064	
13	गोपालगंज	234	164	67200	65928	133128	70	28000	28140	56140	189268	
14	जहानाबाद	93	65	37500	26130	63630	28	15400	11256	26656	90286	

15	जमुई	153	107	50100	43014	93114	46	20800	18492	39292	132406	
16	कटिहार	238	167	68100	67134	135234	71	28300	28542	56842	192076	
17	खगड़िया	129	90	45000	36180	81180	39	18700	15678	34378	115558	
18	कैमूर (भभुआ)	151	106	49800	42612	92412	45	20500	18090	38590	131002	
19	किशनगंज	126	88	44400	35376	79776	38	18400	15276	33676	113452	
20	लखीसराय	80	56	34800	22512	57312	24	14200	9648	23848	81160	
21	मधेपुरा	170	119	53700	47838	101538	51	22300	20502	42802	144340	
22	मधुबनी	399	279	101700	112158	213858	120	43000	48240	91240	305098	
23	मोतिहारी	405	284	103200	114168	217368	121	43300	48642	91942	309310	
24	मुंगेर	101	71	39300	28542	67842	30	16000	12060	28060	95902	
25	मुजफ्फरपुर	385	270	99000	108540	207540	115	41500	46230	87730	295270	
26	नालन्दा	249	174	70200	69948	140148	75	29500	30150	59650	199798	
27	नवादा	187	131	57300	52662	109962	56	23800	22512	46312	156274	
28	पूर्णियाँ	251	176	70800	70752	141552	75	29500	30150	59650	201202	
29	सहरसा	153	107	50100	43014	93114	46	20800	18492	39292	132406	
30	समस्तीपुर	381	267	98100	107334	205434	114	41200	45828	87028	292462	
31	शिवहर	53	37	29100	14874	43974	16	11800	6432	18232	62206	
32	सारण	326	228	86400	91656	178056	93	36400	39396	75796	253852	
33	सीवान	293	205	79500	82410	161910	88	33400	35376	68776	230686	
34	सीतामढ़ी	273	191	75300	76782	152082	82	31600	32964	64564	216646	
35	सुपौल	181	127	56100	51054	107154	54	23200	21708	44908	152062	
36	शेखपुरा	54	38	29400	15276	44676	16	11800	6432	18232	62908	
37	वैशाली	290	203	78900	81606	160506	87	33100	34974	68074	228580	
	कुल योग	8115	5683	2370900	2284566	4655466	2432	988600	977664	1966264	6621730	

(क) के अनुसार आवंटित राशि ₹ 46,55,466/- (₹ छियासठ लाख पचपन हजार चार सौ छियासठ) एवं (ख) के अनुसार ₹ 19,66,264/- (₹ उन्नीस लाख छियासठ हजार दो सौ चौसठ) मात्र अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹ 66,21,730/- (₹ छियासठ लाख इक्कीस हजार सात सौ तीस) मात्र ।


(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।